कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या- जी-109 /दस-लाइसेंस-67/बोतल भराई नियमावली/2018-19 दिनांक-10-09-2018

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-4 सन् 1910) की धारा-41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (इक्कीसवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनाँक से प्रवृत्त होगी।

नियम-2 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली, 1969 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1 विद्यमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2(1) (क) कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से प्रपत्र वि0म0-3 में-, (एक) आसवक (डिस्टिलर) को स्प्रिट की बोतल भराई, (दो) यवासवक (ब्रुअर) को बीयर की बोतल भराई, और (तीन) द्राक्षासवक (विंन्टनर) को वाइन, की बोतल भराई के लिए दिया जा सकता है।	2(1) (क) आबकारी आयुक्त द्वारा बोतलों में भरने का लाइसेंस, प्रपत्र वि0म0-3 में निम्न को स्वीकृत किया जा सकता है- (एक) आसवक (डिस्टिलर) को स्प्रिट की बोतल भराई के लिए (दो) यवासवक (ब्रुअर) को बीयर की बोतल भराई के लिए, (तीन) द्राक्षासवक (विंन्टनर) को वाइन की बोतल भराई के लिए, और **(4) पीडी-33 लाइसेंस धारण करने वाली ऐसी कम्पनी या इकाई, जिसका न्यूनतम 50 करोड़ रूपये का निवेश तथा न्यूनतम 40 के0एल0 प्रतिदिन की क्षमता हो, को, 25 लाख रुपये की बैंक प्रत्यामूत सहित शपथ-पत्र द्वारा यह आश्वासन तथा प्रतिबद्धता प्रदान करने पर कि उसे स्प्रिट की बोतल भराई हेतु एफ0एल0-3 लाइसेंस स्वीकृत किये जाने के दिनाँक से एक वर्ष के भीतर पेय आसवनी अधिष्ठापित करना होगा, पेय आसवनी स्थापित करने के लिए ; यदि इकाई, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेय आसवनी स्थापित करने में विफल रहती है तो पूर्वोक्त बैंक प्रत्यामूति, आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और बोतल भराई लाइसेंस, आसवनी प्रवर्तित किये जाने तक निलंबित अवस्था में रहेगा।**

(धीरज शुक्ल)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

Office of Excise Commissioner, Uttar Pradesh, Allahabad

NOTIFICATION

No. A-108 /X-Licence-57/Bottling Rules/2018 Dated 10-09-18

In exercise of the powers under Section-41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (UP Act no. IV of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (UP Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner with previous sanction of the State Government, makes the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969 as amended from time to time.

The Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor
(Twenty first Amendment) Rules, 2018

Short title and commencement-1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor (Twenty first Amendment) Rules, 2018

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule-2. **2.** In the Uttar Pradesh Bottling of Foreign Liquor Rules, 1969, for rule-2 set out in column-1 below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-I (Existing rule)	Column-II (Rule hereby substituted)
2(1) (a) A bottling licence in Form FL-3 may be granted to – (i) A distiller to bottle spirits; (ii) A brewer to bottle beer; and (iii) A vintner to bottle wines, by the Collector with the previous sanction of the Excise commissioner;	**2(1) (a)** A bottling licence in Form FL-3 may be granted by the Excise Commissioner to – (i) a distiller to bottle spirits; (ii) a brewer to bottle beer; (iii) a vintner to bottle wines, and **(iv) a company or unit holding PD-33 licence; to establish a potable distillery, having a minimum investment of Rs. 50 Crore and a minimum capacity of 40 KLPD, on giving an assurance and commitment by an affidavit and supported by Bank guarantee of Rs. 25 Lakh that it shall install potable distillery within one year from the date of grant of FL3 licence to bottle spirits. If the unit fails to establish the potable distillery within the specified period, the aforesaid bank guarantee shall be forfeited in the favour of the State Government by the Excise Commissioner and the bottling licence shall be held in suspended stage until the distillery is commissioned.**

Excise Commissioner
Uttar Pradesh